राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 1(50)उद्योग / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर दिनांक : 13 DEC 2019

अधिसूचना

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

1. प्रस्तावना :–

प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय / राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना"** होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप :–

योजना अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार / विविधीकरण / आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह / सोसायटी / भागीदारी फर्म / एल.एल.पी.फर्म / कम्पनी) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा ।

4. पात्रता की शर्तें :–

क. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।

ख. स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की ज़ाने वाली योजना के कियान्वयन की मार्गदर्शिका के अनुसार होंगी।

5. ऋणदात्री संस्थाएं :–

योजना अन्तर्गत निम्नांकित वित्तीय संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकेंगी :–

(i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक।
(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
(iv) राजस्थान वित्त निगम।
(v) सिडबी।

6. योजना कियान्वयन एजेन्सी :–

इस योजना का कियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

7. ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) **तथा मुद्रा योजना के लाभान्वितों को समाहित करने संबंधी प्रावधान :–**

(i) **ऋण सीमा :–** इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रू. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा।

(ii) **ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदान** :– योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 3 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा :–

क.सं.	**अधिकतम ऋण राशि**	**ब्याज अनुदान**
1	25 लाख रू. तक	8%
2	25 लाख रू. से 05 करोड़ रू. तक	6%
3	05 करोड़ से 10 करोड़ रू. तक	5%

(iii) **ऋण संबंधी अन्य प्रावधान** :–

क. व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये रहेगी। व्यापार से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों का थोक अथवा खुदरा क्रय–विक्रय है।

ख. बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रूपये तक के ऋण पर ब्याज का शत–प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।

ग. यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर उक्त दर के बराबर या उससे कम है, तो शत–प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।

(iv) **सम्पार्श्विक प्रतिभूति** (Collateral Security) **मुक्त ऋण को प्रोत्साहन** – भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी। 10 लाख रू. से अधिक के ऋण को Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा तथा मुद्रा योजना में होने पर यथास्थिति उस योजना में वहन किया जायेगा।

(v) बैंक द्वारा उनकी अपनी योजनाओं में वित्त पोषित पात्र उपक्रम भी टास्क फोर्स समिति में अनुमोदन पश्चात् योजना अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।

8. ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट :–

योजना में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। बैंक ऋण की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, ऐसी स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही देय होगा। बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी, जो उद्यम की प्रकृति/लाभप्रदता एवं ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर बैंकों द्वारा निश्चित की जाएगी। ऋण अदायगी की शिथिलता अवधि में भी ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

9. आवेदन प्रकिया एवं योजना का कियान्वयन :–

i. योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना कियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता तथा उनकी कार्ययोजना की बेहतर परिणाम देयता के लिए प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में प्रत्येक माह के निर्धारित दिवस को आमुखीकरण एवं मार्गदर्शन हेतु शिविर लगाया जाएगा। इसमें उन्हें न केवल योजना संबंधी जानकारी दी जाएगी अपितु बिना किसी मध्यस्त के स्वयं आवेदन भरने एवं अनुकूल प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यशाला भी रखी जाएगी, इसमें आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।

ii. योजना में ब्याज अनुदान भुगतान प्रकिया को सरलीकृत एवं पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था अपनाई जायेगी। इस ऑनलाईन व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान (नोडल संस्थान) से अनुबंध कर पोर्टल बनाने, ऑनलाईन क्लेम प्राप्त करने, ऑनलाईन भुगतान करने तथा तत्संबंधी लेखे संधारित करने, प्रगति विवरण तैयार करने एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु करार किया जाएगा।

iii. ऑनलाईन व्यवस्था हेतु नोडल वित्तीय संस्थान को अनुदान पेटे अग्रिम राशि (कोरपस फण्ड) भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा एवं इस व्यवस्था के संचालन हेतु व्यय का भुगतान भी किया जा सकेगा।

iv. ऋणों का उनके क्षेत्र, वर्ग एवं उद्देश्य अनुसार समुचित उपयोग एवं मोनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वैल्यूएशन या वेरीफिकेशन कराया जा सकता है, जिसमें प्रकिया ऑनलाईन रखी जा सकेगी। इसमें विभाग द्वारा जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही की समुचित प्रकिया अपनाई जा सकती है। ऋण वितरण के उपरान्त प्रत्येक उद्यमी को पोर्टल से एसएमएस जारी कर उनके फॉलो–अप की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उद्यमी अपनी समस्या, मांग, सुझाव या प्रगति की स्थिति को लेकर जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित दिवस को उपस्थित हो सकता है या विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन सुविधा या एप का उपयोग करते हुए अपना फीडबैक दे सकता है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ऋण वितरण के उपरान्त भी इनका आमुखीकरण एवं इनके बेहतर अपग्रेडेशन हेतु प्रत्येक तीन माह पर शिविर आयोजित करते रहेंगे जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को एसएमएस से सूचना प्रदान की जाएगी।

v. प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में ऋण पूर्व ओरियेंटेशन, मेन्टरिंग एवं इन्क्यूबेशन तथा ऋण पश्चात् मानिटरिंग व फॉलो–अप की सुविधा विकसित जायेगी, जिसके लिए

प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र हेतु एकमुश्त व्यय उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के प्रचार प्रसार, सुदृढीकरण, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज हेतु किसी विशेषज्ञ अथवा निजी एजेन्सी की सेवाएं ली जा सकेगी। इन समस्त कार्यों हेतु कुल आवंटित बजट का 5 प्रतिशत रखा जा सकेगा या इस संबंध में पृथक से वित्तीय प्रावधान किया जा सकेगा, जिसका उपयोग ऑनलाईन पोर्टल एवं एप निर्माण, मेन्टरिंग एवं इन्क्यूबेशन सुविधा, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज, कार्यालय व्यय, प्रचार–प्रसार, प्रोत्साहन शिविर व बैंकर्स–मीट हेतु किया जाएगा।

10. निर्बन्धन एवं शर्तें :–

(i) योजना अन्तर्गत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ii) ब्याज अनुदान सहायता, उद्यम द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। ऋणदात्री बैंक द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने व परियोजना के कार्यरतता का उल्लेख करना होगा। ऑनलाइन अनुदान भुगतान संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक के प्रमाणन/मान्यकरण पश्चात् किया जा सकेगा।

(iii) ऋण खाता NPA (गैर निष्पादन आस्तियाँ) श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालान्तर में नियमित कर दिये जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी देय रहेगा, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अध्यधीन होगा।

11. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची :–

योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ अपात्र होगी :–

(i) मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।

(ii) विस्फोटक पदार्थ।

(iii) परिवहन वाहन, जिसकी ऑन–रोड कीमत 10 लाख रु. से अधिक हो

(iv) पुनःचक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद

(v) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियाँ।

12. अन्य विविध बिन्दु :–

सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र में ऋण एवं अनुदान हेतु अन्य विभागों के माध्यम से भी ऋण प्रदान करने एवं रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के भी विभिन्न विभाग एवं संगठन/परिषद सम्मिलित हैं। उद्योग विभाग आवश्यकतानुसार उनसे समन्वय कर योजना को और सुदृढ़ करने हेतु कार्यवाही कर सकता है। योजना के सुचारु संचालन के संबंध में प्रक्रिया, दिशा–निर्देश व प्रपत्रों के प्रारूप निर्धारण हेतु आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सक्षम होंगे। इस योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के अधिकार आयुक्त, उद्योग, राजस्थान में निहित होंगे।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

–: योजना कियान्वयन की मार्गदर्शिका :–

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रशासनिक कियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश निर्धारित किये जाते हैं :–

1. आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु टास्क फोर्स समिति :–

योजना अन्तर्गत 10 लाख रू तक के ऋण आवेदन पत्र महाप्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या अधिकारियों द्वारा स्कूटिनी कर स्वयं के स्तर पर अभिशंषित किए जा सकेंगें। इसमें जिस आवेदक का आवेदन निरस्त किया जायेगा वह उसके पुनरीक्षण को महाप्रबंधक को आवेदन कर सकेगा, जिसमें उनके द्वारा ही आवेदन के ऊपर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

योजना अन्तर्गत 10 लाख रू से अधिक ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगें :–

(i)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	**अध्यक्ष**
(ii)	जिले के अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबन्धक या अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	स्थानीय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय / पॉलीटेक्निक / आई.टी.आई. या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि	तकनीकी सदस्य
(v)	जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	महिला अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	जिला स्तरीय अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि	**सदस्य सचिव**

(**नोट** :– उक्त समिति में बैंक के एक प्रतिनिधि सहित न्यूनतम 4 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।)

टास्क फोर्स समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी ।

उक्त टास्क फोर्स समिति 10 लाख रू. से अधिक ऋण के आवेदकों के साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों की प्रस्तावित उद्यम के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक / अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रुचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना, ऋण अदायगी के प्रति आवेदक की ईमानदारी आदि का आकलन आदि के आधार पर योग्य / पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्री बैंक शाखा को अग्रेषित किया जायेगा।

2. विशेष वर्गों / उद्यमों को वरीयता :–

योजना के अन्तर्गत आवेदकों के चयन में निम्नलिखित वर्गों को विशेष वरीयता दी जाएगी :–

1. ऐसे संस्थागत आवेदक, जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा वे उत्पादन के एक स्तर या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यवसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं।
2. ऐसे आवेदक, जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत है।
3. ऐसे आवेदक, जो पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हों, जिन्होनें बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो।
4. ऐसे आवेदक, जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं।
5. ऐसे आवेदक, जो वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक (इन्हें चिन्हित करने के लिए अलग से नीति या दिशा–निर्देश बनाये जा सकते हैं।)।
6. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना से समाज के वंचित तबके को विशेष संबल या रोजगार प्राप्त होता हो।
7. ऐसे अनेक श्रमिक हैं, जो किसी उद्यम में लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण वे उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं, ऐसे श्रमिकों या उनके समूहों को भी विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार किसी उद्यम में परम्परागत रूप से दस्तकार अथवा उससे जुडे रहे व्यक्तियों को भी वरीयता दी जा सकती है।
8. ऐसे आवेदक, जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्डधारक या हस्तशिल्प में आर्टीजन कार्ड धारक है।
9. ऐसे आवेदक, जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी हैं।
10. ऐसे आवेदक, जो एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वाइंट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हों।
11. ऐसे आवेदक, जो किसी ऐसे नवाचार या अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो।
12. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में अधिक रोजगार सृजन होता हो अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का प्रयोग होता हो।
13. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना हो।
14. ऐसे आवेदक, जिनकी प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो जैसे – रेडिमेड वस्त्र निर्माण, डिजाइन इत्यादि।
15. ऐसे आवेदक, जो सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करना चाहते हैं।
16. स्वतन्त्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को स्वयं का उपक्रम प्रारम्भ किए जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

नोट :– योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिए एक निश्चित टाईम मैट्रिक्स निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

3. संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें :–

संस्थागत आवेदकों (निर्धारित स्वयं सहायता समूह एवं सोसायटी) हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पात्रता शर्तें होगी :–

(a) संस्था / समूह राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश / नियम / विनियम / योजना के अन्तर्गत गठित होना चाहिए।

(b) संस्था / समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।

(c) संस्था / समूह को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तत्समय डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो।

(d) संस्था / समूह के गठन को कम से कम एक वर्ष हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारस्परिक लेन–देन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकार्ड संधारित होना चाहिए।

(e) संस्था / समूह से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।

(f) सहकारी सोसायटी जो सहकारी विभाग से पंजीकृत हो एवं जिनके लेखों का नियमित अंकेक्षण हो रहा हो एवं उत्पादन गतिविधि में संलग्न हो, पात्र मानी जाएगी।

चूंकि स्वयं सहायता समूह के संबंध में अनेक विभागों के द्वारा अलग–अलग स्तर पर उनके गठन की कार्यवाही की जाती रही है और उनकी समस्याओं एवं स्थितियों का तदनुरूप परिवर्तन होता रहता है, अतः संबंधित विभाग की अभिशंषा पर आयुक्त उद्योग ऐसे संस्था / समूह आवेदकों हेतु ऐसी पात्रता शर्तों में संशोधन करने हेतु सक्षम होंगे, जिनसे उनकी उद्यमिता और प्रबंधन क्षमता बेहतर होती हो।

4. योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अपात्र आवेदक :–

निम्नलिखित आवेदक योजना अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे :–

(a) ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य केन्द्रीय / राजकीय रोजगारमूलक अनुदान कार्यक्रम / योजना में विगत 5 वर्ष में लाभान्वित हुआ हो।

(b) ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान / बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो। परिवार का तात्पर्य पति–पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं।

5. योजना अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(i) पात्र व्यक्ति / संस्थागत आवेदक योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, को आवेदन करेंगे। 10 लाख रू. से कम ऋण के आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इन्हें बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित बैंक शाखा को अग्रेषित कर दिया जाएगा। 10 लाख रू. से अधिक ऋण के आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु योजना क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या–1 अनुसार महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ii) योजना में सम्मिलित बैंक शाखाएं भी अपने स्तर पर बैंक नॉर्म्स अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता की जांच उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को मय अभिशंषा के प्रेषित कर सकेंगे।

(iii) जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त 10 लाख रू. से अधिक राशि के ऋण आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त आवेदक को टास्क फोर्स समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें योजना कियान्वयन की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या – 2 में वर्णित विशेष वर्गों सहित बैंकों से अभिशंषित आवेदकों को वरीयता देते हुए, चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु ऋणदात्री बैंक को अग्रेषित किये जा सकेंगें।

(iv) योजना के तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे–बड़े सभी स्तर पर कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए आवेदन हेतु पर्याप्त अवसर हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री बैंक शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/सकारण निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र एवं आवेदक को प्रेषित की जायेगी एवं ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

(v) ऋणदात्री बैंक ऋण स्वीकृति उपरान्त सम्बंधित आवेदक को नियमानुसार ऋण वितरण करेगें। ऋणदात्री बैंक द्वारा ऐसे मामलों में ऋणी द्वारा चुकाये गये ब्याज के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र (क्लेम) संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। मांग पत्रानुसार महाप्रबंधक द्वारा योजना अन्तर्गत देय ब्याज अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण यथाशीघ्र किया जायेगा, जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के अध्याधीन होगा।

(vi) जिन उपकमों में ऋण वितरण 02 करोड़ रू. से अधिक होगा, में त्रैमासिक ब्याज अनुदान का भुगतान जिला उद्योग केन्द्र एवं ऋणदात्रि बैंक शाखा के प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपकम के कार्यरत होने एवं ऋण खाता नियमित पाये जाने पर किया जा सकेगा। इकाई के संचालन के सत्यापन हेतु प्रमुख मापदण्ड सूचक (Key Parameter Indicator) के रूप में सृजित रोजगार, चुकाया गया कर एवं प्रोविडेंट फण्ड आदि के दस्तावेज की प्रति ली जावेगी।

(vii) राज्य के लक्ष्यों का आवंटन कार्यालय आयुक्त उद्योग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रवार किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्र को आवंटित लक्ष्य को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र संबंधित जिले के जिला अग्रणी प्रबंधक की सहायता से सहभागी बैंकों एवं अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों के मध्य आवंटित करायेंगे।

इस योजना की निरंतर मॉनिटरिंग, खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से की जायेगी।

6. आवेदक के आवेदन के मूल्यांकन का प्रपत्र :–

आवेदन पत्रों में कार्ययोजना की गुणवत्ता के आधार पर बैंकों को अग्रेषण की दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा :–

क.सं.	बिन्दु	आवेदक की टिप्पणी (आत्म मूल्यांकन के रुप में)	विभागीय मूल्यांकन (प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर टिप्पणी)
A	**आवेदक की श्रेणी के आधार पर वरीयता चाहने हेतु**		
1.	क्या आवेदक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यावसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं?		
2.	क्या आवेदक वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक के रूप में है?		
3.	क्या आवेदक दिव्यांग की श्रेणी में आता है?		
4.	क्या आवेदक महिला श्रेणी में आता है?		
5.	क्या आवेदक कंपनी या फर्म के रूप में दर्ज होने से बेहतर पारदर्शिता की संभावना रखती है?		
6.	क्या आवेदक विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी है?		
B	**आवेदक की उद्यम संभावना के आधार पर वरीयता चाहने हेतु**		
7.	क्या आवेदक राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कौशल में प्रशिक्षित या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत है या आवेदक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रस्तावित उद्यम में सहायक रहेगी?		
8.	क्या आवेदक के पास परम्परागत, वंशानुगत अथवा अर्जित अनुभव के आधार पर उद्यम हेतु विशेषज्ञता है अथवा बुनकर कार्डधारक या आर्टीजन कार्ड धारक हैं?		
9.	क्या आवेदक पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हैं, जिन्होनें बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो?		
10	क्या आवेदक के उद्यम में एक स्टार्ट–अप के योग्य कोई विशिष्ट नवाचार या संभावना विद्यमान है या वे किसी ऐसे अनुसंधान को कियान्वित करना चाहते हों,		

	जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो?		
11.	क्या आवेदक का उद्यम निर्यात संभावना युक्त है?		
12.	क्या आवेदक एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वाइंट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हैं?		
13.	क्या आवेदक कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना है?		
14.	क्या आवेदक की प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो ?		
15.	क्या आवेदक की कार्ययोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है?		
C	**अन्य बिन्दु**		
16.	क्या आवेदक के उद्यम हेतु अपनी भूमि है?		
17.	क्या आवेदक के उद्यम हेतु उपलब्ध भूमि में आवश्यकता अनुसार भवन निर्मित है?		
18.	क्या प्रस्तावित उद्यम स्थापना वाले स्थान में उपलब्ध कच्चे माल या प्राकृतिक उत्पाद के उपयोग पर आधारित है?		
19.	यदि उस स्थान पर उस जैसे अनेक उद्यम है तो वह किस आधार पर चलने की संभावना मानता है?		
20.	क्या प्रस्तावित उद्यम में प्रशिक्षित मानव संसाधन के उपयोग की संभावना है?		

नोट :— यह प्रपत्र मूल आवेदन के साथ ही स्वयं आवेदक द्वारा आत्ममूल्यांकन के रूप में भरा जायेगा, जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण कर समुचित अभिशंषा की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा किसी परियोजना विशेष के लिए इनके अतिरिक्त भी बिन्दु बनाए जा सकते हैं, किन्तु वे महाप्रबन्धक स्तर से अनुसंषित होंगे।

7. मूल्यांकन के उपरान्त प्रभारी अधिकारी / टास्क फोर्स की अभिशंषा :—

उक्त उल्लेखित पैरामीटर तथा अन्य बिन्दुओं पर निम्नांकित रूप में टिप्पणी करते हुए आवेदन पत्र को अग्रेषित करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

1	2	3	4	5
बहुत अच्छा	**अच्छा**	**सामान्य**	**समुचित नहीं**	**टिप्पणी**

8. **ऋण के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरण :–**

क. योजना में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक दो तरह के हो सकते है :–

1. बैंक में ऋण स्वीकृति से पूर्व सामान्य आवेदन करने वाले
2. बैंक से ऋण की स्वीकृति/सहमति करा चुके आवेदक

योजना के समुचित कियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

ख. कोई उद्यमी जो उद्यम लगाता है, उसमें स्थायी व्यय एवं आवर्ती व्यय के रूप में कमशः पूंजीगत लागत (Capital Expenditure) तथा राजस्व लागत (Revenue Expenditure) का प्रावधान होता है, इसमें भी कुल परियोजना लागत के अन्तर्गत कुछ राशि उद्यमी द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन की जाती है, जिसे उसका स्वयं का अंशदान माना जाता है। बैंक द्वारा सामान्य तौर पर उसकी पूंजीगत लागत (स्थायी व्यय) के लिए कम्पोजिट/ सावधि ऋण का प्रावधान किया जाता है और राजस्व व्यय (आवर्ती व्यय) के लिए कार्यशील पूंजी मानते हुए उसकी सी.सी.लिमिट निर्धारित की जाती है। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101905669 दिनांक 09.12.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुभम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग/एमएसएमई।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, (समस्त), राजस्थान।
11. निदेशक, प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान, जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
12. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव